

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2019/36

दिनांक : 22/2/2019

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा में बैठने की अनुमति अद्योलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

क.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा
1.	श्री राजेन्द्र कुमार सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय अलवर	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
2.	श्री अशोक चाहर सहायक रेडियोग्राफर	जनाना अस्पताल जयपुर	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
3.	श्री शिवाशीष शर्मा सहायक रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
4.	श्री मनीष नेभनानी सहायक रेडियोग्राफर	महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
5.	श्री अनिल बाघेला नेत्र सहायक	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जोधपुर	फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018
6.	श्री महेन्द्र कीलका नेत्र सहायक	राजकीय चिकित्सालय लाडनू(नागौर)	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
7.	श्री महेश कुमार मीणा नेत्र सहायक	सीएचसी बागीदौरा, बांसवाड़ा	स्वयंपाठी बी.ए. पार्ट-III की परीक्षा 2019
8.	निशा निडर सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर	स्वयंपाठी बीएससी पार्ट-III परीक्षा 2019
9.	सीमा सैनी सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर	स्वयंपाठी एम.ए. पूर्वाद्ध परीक्षा 2019
10.	श्री निर्मल कुमार वैष्णव सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर	स्वयंपाठी बीए पार्ट-III परीक्षा 2019

- राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
- इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- परीक्षा की तैयारी हेतु इन्हें कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/पद लाभ की मांग नहीं करेंगे।
- राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।
- चयन होने पर नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करा कर कार्यमुक्त हो कर चयनित पद पर कार्यग्रहण करना होगा।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2019/36

दिनांक : 22/2/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर/जनाना अस्पताल जयपुर/महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा/राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय लाडनू, नागौर/राज. सेटेलाईट अस्प.अलवर।
- भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जोन जोधपुर।
- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी बागीदौरा, बांसवाड़ा।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)